न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं0 प्रथम, मथुरा

सत्र विचारण सं0–402/2011

राज्य बनाम गंगाराम

अन्तर्गत धारा–396 भा0दं0सं0
अपराध सं0–11/1991,
थाना–बरसाना, जिला–मथुरा

आरोप

मैं अजय कुमार श्रीवास्तव–I, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–01, मथुरा आप अभियुक्त गंगाराम को निम्न आरोप से आरोपित करता हूं–

यह कि दिनांक 09/10.02.1991 की रात लगभग 02:00 बजे, थाना–बरसाना, जिला–मथुरा के क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत स्थित गांव–नन्दगांव में आपने अपने 7–8 अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा तुलाराम के खेत पर, रहठान में मौजूद रामजीत की घड़ी एच0एम0टी0 विजय एवं साईकिल तथा विजय शंकर की घड़ी एच0एम0टी0 कोहिनूर एवं रुपए 150/– नकद तथा कागजात आदि लूटकर डकैती की घटना कारित की तथा वहां मौजूद उदयपाल के विरोध करने पर आपने उदयपाल को आग्नेयास्त्र से गोली मारकर उसकी साशय मृत्यु कारित कर दी।

इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो भा0दं0सं0 की धारा **396** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एत्तद्वारा निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप के अधीन आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–15.07.2017

(अजय कुमार श्रीवास्तव–I)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–01,मथुरा

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांक–15.07.2017

(अजय कुमार श्रीवास्तव–I)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–01,मथुरा

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं0 प्रथम, मथुरा

सत्र विचारण सं0–402/2011

राज्य बनाम गंगाराम

अन्तर्गत धारा–396 भा0दं0सं0
अपराध सं0–11/1991,
थाना–बरसाना, जिला–मथुरा

न्यायालय टिप्पणी

आज यह सत्र परीक्षण मेरे समक्ष पेश हुआ। अभियुक्त गंगाराम मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आया। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) उपस्थित आये।

अभियोजन द्वारा मेरा ध्यान केस डायरी पर उपलब्ध अभियोजन के उस साक्ष्य की ओर आकर्षित किया, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त गंगाराम के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा–396 का अभियोग साबित कराना चाहता है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस अभियोग में गलत फंसाया गया है।

मेरी राय में केस डायरी पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त गंगाराम के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा–396 का आरोप प्रथमदृष्टया विचारण हेतु बनता है। तदनुसार उक्त अभियुक्त को उक्त आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

अब यह पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 17.08.2017 को पेश हो। अभियोजन साक्षी समन हों।

दिनांक–15.07.2017

(अजय कुमार श्रीवास्तव–I)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–01,मथुरा

15.07.2017

पत्रावली पेश की गयी। पुकार पर अभियुक्त गंगाराम न्यायालय में उपस्थित हुआ। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को आरोप पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

विद्वान अभियोजक द्वारा अपने मामले का कथन, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गये आरोप का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है, आरम्भ किया गया। मामले के अभिलेख एवं उसके साथ दिये गये दस्तावेजों पर विचार करने एवं इस निमित्त अभियुक्त व अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् मेरे विचार से अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार होना लगता है तथा अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी उपधारणा करने का प्रथमदृष्टया आधार लगता है कि अभियुक्त ने उक्त अपराध कारित किया है। तदनुसार अभियुक्त गंगाराम के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा **396 भा0दं0सं0** विरचित किये जाना न्यायोचित लगता है।

तदनुसार उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोप से मना किया तथा घटना का विचारण चाहा।

पत्रावली, वास्ते साक्ष्य दिनांक 17.08.2017 को पेश हो। अभियोजन पक्ष, जिन भी साक्षी को, न्यायालय के माध्यम से आहूत करना चाहे, उनकी सूची नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

दिनांक–15.07.2017

(अजय कुमार श्रीवास्तव–I)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–01,मथुरा